भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th Floor Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi - 110003

पत्रावली संख्या/**File No.** : Review/Meeting/Service/UK/2011/RU-II दिनांक/**Date** : 10 /07/2015

To

The Chief Secretary to the Govt. of Uttarakhand
Secretariat
Subash Road, Dehradun
Uttarakhand

Subject : Tour Report of the visit of Hon'ble Ravi Thakur, Vice-Chairperson, NCST, New Delhi to the State of Uttarakhand from 23/04/2015 to 28/04/2015.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Tour Report of the visit of the Hon'ble Ravi Thakur, Vice-Chairperson, NCST, New Delhi to State of Uttarakhand from 23/04/2015 to 28/04/2015. It is requested that action taken report on the action points mentioned in the Report may please be furnished to the Commission within one month.

Enclosed : as above

Yours faithfully,

(Pramod Chand)
Deputy Secretary

Tel. : 011-24620638, 24645826, Email. dirru2@ncst.nic.in, www.ncst.nic.in

# भारत सरकार
# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पत्रावली संख्या - 2/2/2015-समन्वय दिनांक - 29/06/2015

आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर की दिनांक-23/4/2015 से 28/4/2015 तक उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्रवास पर रहे जिसकी रिपोर्ट निम्नवत है:-

आयोग द्वारा दिनांक - 05/06/2012 से 11/06/2012 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं एवं विकास में अनुसूचित जनजाति के लिए क्रियान्वित की जा रही आरक्षण नीति के क्रियान्वयन एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम - 1989 के संदर्भ में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। जिसकी रिपोर्ट आयोग द्वारा 27/06/2012 को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य सरकार एवं सम्बन्धित विभागों को प्रेषित् कर दी गई थी। वर्ष 2012 से अप्रैल 2015 तक राज्य सरकार को निरन्तर स्मरण पत्र भेजे जाने के उपरान्त भी आयोग द्वारा अपनी प्रवास रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

आयोग द्वारा पत्रावली क्रंमाक - Review/Service/Tehry Grahwal/2014/RU-II में पत्र दिनांक - 30/9/014 एवं स्मरण पत्र 17/03/2015, पत्रावली क्रंमाक - Review/Service/Dehradun/2014/RU-II में पत्र दिनांक - 30/9/014 एवं स्मरण पत्र 23/02/2015, 26/03/2015, पत्रावली क्रंमाक-Review/Service/ Uttrakhand/2014/RU-II में पत्र दिनांक - 29/05/014 एवं स्मरण पत्र दिनांक - 30/09/2014, 15/10/2014, 20/02/2015 एवं पत्रावली क्रंमाक - Review/Service/Deh. D. A./ 2014/ RU-II में पत्र दिनांक - 30/9/014 एवं स्मरण पत्र दिनांक - 17/11/2014, 20/02/2015, 26/03/015 लिखे जाने पर भी राज्य सरकार की उदासीनता के कारण आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदय दिनांक - 23/4/2015 से 28/4/2015 तक अनुवर्ती कार्यवाही के संदर्भ में उत्तराखण्ड के राजकीय प्रवास पर रहे। प्रवास के दौरान माननीय उपाध्यक्ष के साथ आयोग के अन्वेषक श्री चेतन कुमार शर्मा भी साथ रहे।

राज्य सरकार को विस्तृत राजकीय प्रवास कार्यक्रम आयोग के वितन्तु संदेश संख्या टीपी/सीपी/एनसीएसटी/2015/ 003 दिनांक - 22/4/2015 द्वारा प्रेषित् किया गया। उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं एवं विकास में अनुसूचित जनजाति के लिए क्रियान्वित की जा रही आरक्षण नीति के क्रियान्वयन एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम - 1989 के संदर्भ में राज्य स्तरीय समीक्षा की अनुवर्त्ती कार्रवाई के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ की गई बैठकों, स्थलीय दौरों एवं तेल



रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

एवं प्राकृत गैस कॉर्पोरेशन, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून एवं मसूरी विकास प्राधिकरण, टेहरी, टीएचडीसी एवं टेहरी जिला प्रशासन के साथ की गई समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट निम्नानुसार है -

**दिनांक - 24/04/2015**

## तेल एवं प्राकृत गैस कार्पोरेशन

तेल एवं प्राकृत गैस कार्पोरेशन की अनुसूचित जाति तथा जनजाति कर्मचारी संघ के श्री टी. आर. मीणा, अध्यक्ष, कैप्टन जनेश्वर प्रसाद, सचिव, श्री अजयपाल सिंह, उपाध्यक्ष, श्री बाली लखावत, संयुक्त सचिव एवं श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय को अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की निम्न लिखित समस्याओं से अवगत कराया।

1. तेल एवं प्राकृत गैस कार्पोरेशन की सहायक कम्पनियों (OVL, MRPL, OPAL, Petronet, LNG, OTPC etc.) में अजजा के कर्मचारियों को विदेश सेवा का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। जिसके कारण उक्त कम्पनियों में अजजा का बैकलॉग विद्यमान है। इन कम्पनियों में चयन के मापदण्डों में अजजा के कर्मचारियों को शिथिलता प्रदान करके यथोचित अवसर प्रदान करने चाहिये।

2. PAR समीक्षा कमेटी में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के प्रतिनिधियों को अवसर नहीं दिया जाता है एवं प्रबन्धन ने अभी तक PAR समीक्षा कमेटी में अजजा/अजा के कर्मचारियों के पक्ष को दृष्टिगत रखने के लिए कोई भी प्रणाली विकसित नहीं की है।

3. कार्यपालक पद उपमहाप्रबन्धक (E 6) एवं महाप्रबन्धक (E 7) के पदों पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के साथ अवक्रमण (Supersession) हो रहा है। जिसके कारण इन पदो पर आरक्षित वर्ग का बैकलॉग बना हुआ है।

4. सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमीनारों, सम्मेलनों, प्रगति प्रबन्धन कार्यक्रमों, वरिष्ठ प्रबन्धन कार्यक्रमो एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है।

5. परिसर नियोजन (Campus Placement) में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों का चयन नहीं होने के कारण परिसर नियोजन को बन्द किया जाना चाहिये।

6. सीधी भर्ती की शैक्षणिक योग्यता में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को शिथिलता प्रदान की जानी चाहिये। जिससे आरक्षित वर्ग के अधिक से अधिक अभ्यार्थी आवेदन कर सके।

रवि THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन से पूर्व सामान्य कर्मचारी संघ के समान ही अजा/अजजा कर्मचारी संघ से भी सुझाव लिये जाये।

8. सी. एस. आर. वित्तिय निर्णय समिति एवं सहयोग ट्रस्ट की कार्यकारणी में अजा/अजजा का प्रतिनिधित्व नहीं है।

(अनुवर्ती कार्रवाई तेल एवं प्राकृत गैस कॉ. प्रबन्धन द्वारा)

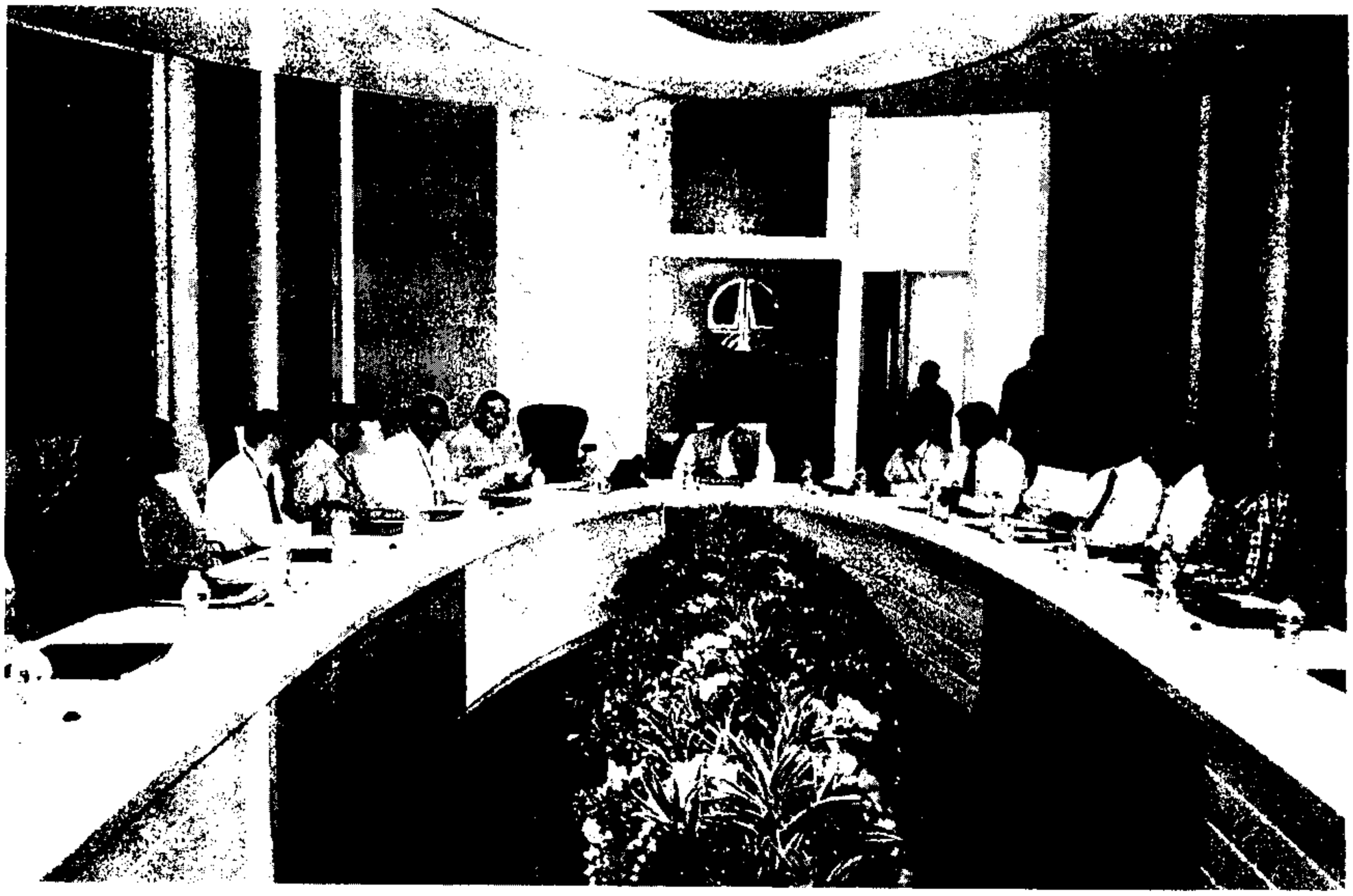



दिनांक-24/4/2015 को तेल एवं प्राकृत गैस कॉर्पोरेशन अजा/अजजा कर्मचारी संघ के साथ सम्पन्न बैठक।

तेल एवं प्राकृत गैस कॉर्पोरेशन के साथ सम्पन्न बैठक में प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारी श्री प्रदीप सहरिया, कार्यकारी निदेशक/मुख्य अधिकारी कर्मचारी सम्बन्ध, श्री एस. जी. भार्गव, महाप्रबन्धक (मुख्य कॉपोरेट मामलात्), श्री सुरेश डडियाल, मुख्य अधिकारी, मानव संसाधन विभाग एवं श्री असीम सिन्हा, प्रबन्धक, अजा/अजजा प्रकोष्ठ उपस्थित थे। बैठक में दिनांक - 11/06/2012 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के अनुवर्त्ती बिन्दुओं पर तेल एवं प्राकृत गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही रिपोर्ट पत्र क्रंमाक - 3(10)/एन.सी./2012-एससीटी दिनांक - 31/08/2012 तथा अजा/अजजा



रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक - 24/4/2015 की बैठक में उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में परिचर्चा की गई।

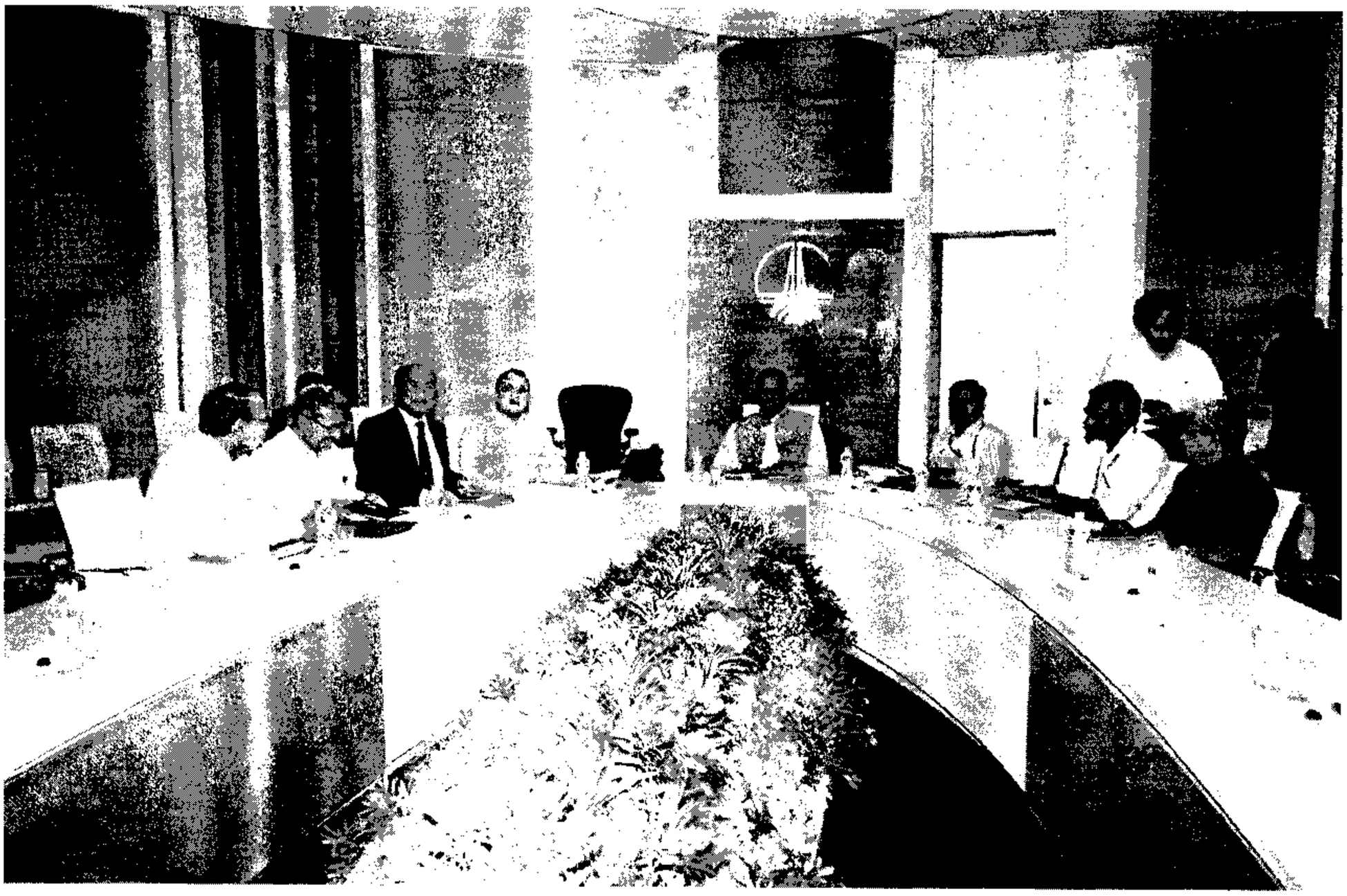



दिनांक-24/4/2015 को तेल एवं प्राकृत गैस कॉर्पोरेशन प्रबन्धन के साथ सम्पन्न बैठक।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने तेल एवं प्राकृत गैस कॉ. की सेवाओं में आरक्षित वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रबन्धन को कार्यपालक समूह (उपमहाप्रबन्धक व महाप्रबन्धक) में भी आरक्षित वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान करने का सुझाव दिया। सभी आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन कराने तथा बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्त्ती कार्यवाई हेतु निर्देशित किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा तेल भवन स्थित संग्रहालय का भी अवलोकन कर तेल एवं प्राकृत गैस कॉ. के गौरवशाली इतिहास के साक्षी बने।

## भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

विश्व प्रसिद्ध वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का गठन 01.06.1991 में किया गया। वर्तमान समय में परिषद् में नौ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान एवं चार अनुसंधान केन्द्र है, जो देश के विभिन्न राज्यों में स्थित है। ये सभी संस्थान वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं



रवि ठाकुर / RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष / Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसंधान के सफल परिणामो को प्रयोगशाला से जनसाधारण के अनुप्रयोग हेतु क्रियान्वयन का कार्य करती है। वनोपज एवं लघु वन उत्पादों के सफल अनुप्रयोग हेतु देशभर में यह एक मात्र संस्थान है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, वन अनुसंधान संस्थान (विस्तार), शिक्षा इत्यादि देहरादून स्थित अनुभागों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के कार्मिको से संस्थान में उनकी समस्याओं के संदर्भ में बैठक की गई। बैठक में कार्मिको द्वारा निम्न लिखित समस्याओं से अवगत कराया:

1. संस्थानों एवं परिषद में लम्बे समय से भर्ती नहीं होने के कारण अधिकांश पद रिक्त चले आ रहे।
2. संस्थानों एवं परिषद में लम्बे से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नतियां लम्बे समय से लम्बित चल रही है।
3. कार्मिको को लम्बे समय से सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नति भी प्रदान नहीं की जा रही है।
4. पद आधारित रोस्टरों का संधारण नहीं किया जा रहा है।
5. अनुसूचित जनजाति के पद लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे है, बैकलॉग की भर्ती नहीं की गई है, जबकि भारत सरकार द्वारा विशेष भर्ती अभियान - 2004 का आयोजन किया जा चुका है।
6. आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करवाया गया है।

(अनुवर्ती कार्यवाही भा.वा.अ. एवं शि.प. प्रबन्धन तथा प.व. एवं ज.प. मंत्रालय द्वारा)

बैठक में आरक्षित वर्ग के कार्मिक श्री संदीप कुजूर, श्री आनंद सिंह रावत, श्री जवाहर सिंह, श्री प्रताप सिंह, डॉ. लक्ष्मी रावत, रंजाना नेगी, अमिता चौहान एवं शशिकर सांमन्ता ने भाग लिया।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के प्रबन्धन के साथ हुई बैठक में परिषद के महानिदेशक, डॉ. अश्विनी कुमार ने अवगत कराया कि संस्थान में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण नीति के संदर्भ में जारी आदेशों का पालन किया जाता है। परिषद में अजा/अजजा के लिए सम्पर्क अधिकारी भी नामित कर रखे है। अनुसूचित जनजाति के किसी भी कर्मचारी की समस्या लम्बित नहीं हैं।

संस्थान में लम्बे समय से सिधी भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने तथा बैकलॉग की समस्या का कारण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बजट में भारी कटौती के कारण पर्याप्त वित्तिय संसाधनो का अभाव एवं मंत्रालय द्वारा सीधी भर्ती की अनुमति प्रदान नहीं करने को बताया। परिषद के परिसर में 1200 एकड़ का विस्तृत भू-भाग है जिसमें वन लघु उत्पादों के अनुप्रयोग एवं वन लघु उत्पादों की वृद्धि के संदर्भ में अनुसंधान किये जाते है, लेकिन बजट कटौती एवं मानव संसाधन के अभाव गें अनुसंधान के कार्य में कमी हो रही है। परिसर के संरक्षण हेतु



रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भी पर्याप्त बजट नहीं है। बैठक में डॉ. अश्विनी कुमार, महानिदेशक, डॉ. एस. पी. सिंह, उपमहानिदेशक (प्रशासन), श्री साईबाल दासगुप्ता, उपमहानिदेशक (विस्तार), डॉ. सविता, उपमहानिदेशक (शिक्षा), डॉ. आर. के. अईमा, निदेशक, श्री शशिकर सामान्था, पंजियक, श्री विवके खाण्डेकर, सचिव, श्रीमती नीना खाण्डेकर अपर महानिदेशक (प्रशासन), श्रीमती कमला प्रीत, अपर महानिदेशक, डॉ. विमल कोटियाल, अपर महानिदेशक, डॉ. सुषमा महाजन, अपर महानिदेशक, डॉ. एस. पी. एस. रावत, अपर महानिदेशक ने सहभागिता की।

परिषद में वनोपज एवं लघु उत्पादों पर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य को देखते हुए अनुसंधान बजट को बढ़ाने तथा अनुसंधान के अनुप्रयोगो से आदिवासियों को लाभान्वित करने हेतु परिषद के अन्तर्गत किसान कॉल सेन्टर की तर्ज पर लघु उत्पादों एवं वनोपज के अनुप्रयोगो के संदर्भ में कॉल सेन्टर भी स्थापित किया जाना चाहिये। परिषद की बजट एवं मानव संसाधन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुवर्त्ती काईवाई अपेक्षित है।

दिनांक - 24/4/2015 की रात्रि 8.00 बजे उपाध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत से उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के संदर्भ में बैठक की। बैठक में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पदो एवं जनजाति परामर्श दात्री के पदो को नामित करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही हेतु अनुरोध किया।

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

माननीय मुख्यमंत्री से माननीय उपाध्यक्ष की मुलाकात के दौरान।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय से बैठक के उपरान्त दिनांक - 27/4/2015 को उत्तराखण्ड शासन द्वारा श्री गोपाल राणा एवं श्री कैलाश रावत को उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष मनोनित किया गया।

**दिनांक - 25/4/2015**

दिनांक - 25/4/2015 को मसूरी का स्थलीय भ्रमण किया गया तथा मूसरी के विकास सम्बन्धी समस्याओं के संदर्भ में स्थानीय अधिकारी श्री दींपाकर छितिडयाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, श्री संजीव रावी, जनसम्पर्क अधिकारी, नगर पालिका मसूरी, श्री टी. एस. रावत, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी, श्री वीरेन्द्र राव, नायब तहसीलदार, मसूरी एवं श्री विनोद चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता, मसूरी - देहरादून विकास प्राधिकरण से मसूरी के विकास, जल, शिक्षा, आवास, व्यवसाय विकास इत्यादि के संदर्भ में बैठके की।

**दिनांक - 26/4/2015**

दिनांक - 26/4/2015 को ऑल इण्डिया अजा/अजजा कर्मचारी कल्याण संघ टेहरी हाइड्रो डवलपमेन्ट इण्डिया लि. के पदाधिकारियों से बैठक की। बैठक में श्री प्रेमलाल, अध्यक्ष, श्री अवतार मिस्त्री, सचिव, श्री योगेश पाल, सदस्य, श्री गोविन्द राज, सदस्य एवं श्री नरेभ सिंह ने ज्ञापन दिया तथा निम्न लिखित समस्याओं से अवगत कराया:

1. माननीय उपाध्यक्ष को अवगत कराया कि वर्ष 2001 में लागू हुई कैरियर ग्रोथ स्कीम के तहत सामान्य वर्ग के 85 कार्मिको को लाभान्वित किया जा चुका है परन्तु आरक्षित वर्ग के किसी भी कार्मिक को अभी तक लाभान्वित नहीं किया गया है।
2. उच्चतर शिक्षाओं में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जा रहा है।
3. परियोजना प्रभावित आरक्षित वर्ग के परिवारों को टेहरी/कोटेश्वर परियोजना में कार्यों का आंवटन किया जाना चाहिये।
4. बाहरी स्त्रोत से मानव संसाधन आपूर्ति में आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है।

(अनुवर्त्ती कार्रवाई टेहरी हाइड्रो डवलपमेन्ट इण्डिया लि. प्रबन्धन द्वारा)

दिनांक - 26/4/2015 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा टेहरी बांध एवं टेहरी हाइड्रो डवलपमेंट कॉ. लि. की ईकाईयों का अवलोकन किया।



रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

माननीय उपाध्यक्ष महोदय परियोज़ना अवलोकन के दौरान उच्च अधिकारियों के साथ।

टेहरी हाइड्रो डवलपमेंट कॉ. लि. के प्रबन्धन से आरक्षण नीति के क्रियान्वयन एवं पुर्नवास व विस्थापन नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में बैठक की गई। बैठक में उपस्थित श्री आर. एस मेहरोत्रा, महाप्रबन्धक, श्री डी. एस. कुन्दू, सहायक महाप्रबन्धक (पुर्नवास), श्री विजय गोईल, सहायक महाप्रबन्धक (पी) टेहरी, श्री सी. मिंज सहायक महाप्रबन्धक (पी) ऋषिकेश, डॉ. ए. एन. त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रबन्धक, श्री सुधीर लाखेरा, प्रबन्धक, श्री एस. के. शर्मा, प्रबन्धक, श्री ए. के. विश्वकर्मा, उपप्रबन्धक, श्री यू. के. ठाकुर, सहायक महाप्रबन्धक, श्री नेलसन लाकरा, वरिष्ठ प्रबन्धक ने भाग लिया। बैठक में उपाध्यक्ष महोदय ने कॉर्पोरेशन में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं क्रियान्वित की जा रही आरक्षण नीति पर संतोष व्यक्त किया तथा कर्मचारी संघ की मांगो पर पुर्नविचार हेतु प्रबन्धन को सुझाव दिया। परिसर नियोजन में आरक्षित वर्ग के छात्रों के नियोजन को दृष्टिगत रखने हेतु भी निर्देशित किया।

टेहरी बांध के स्थलीय भ्रमण के दौरान परियोजना अधिकारियों के साथ।

पुर्नवास के संबध में कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने अवगत कराया कि सम्पूर्ण परियोजना में किसी भी अनुसूचित जनजाति के गांव को विस्थापित नहीं किया गया है तथा विस्थापितों में अनुसूचित जनजाति का परिवार सम्मिलित नहीं है।

**जिला प्रशासन – टेहरी गढ़वाल से समीक्षा बैठक**

दिनांक – 26/4/2015 को माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जिला – टेहरी गढ़वाल की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम-2006, इन्दिरा गांधी आवास योजना, टेहरी बांध पुर्नवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जनजातिय उपयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, पेयजल, विद्युतिकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाटरशेड कार्यक्रम, स्वस्च्छता अभियान, विद्यालयों में शौचालय इत्यादि की प्रगति की समीक्षा की गई एवं सम्बन्धित विभागो को योजनाओं से आदिवासियों को अधिकतम लाभान्वित करने हेतु सुझाव प्रदान किये।

उपाध्यक्ष महोदय ने टेहरी झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु जिला प्रशासन को सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये। बैठक में जिला कलक्टर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, पुलिस विभाग, पर्यटन विभाग, उपखण्ड एवं तहसीलदार, विद्युत वितरण विभाग, जल संसाधन, जिला अर्थ एवं नियोजन अधिकारी ने भाग लिया।

**फिल्ड विजिट**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने टेहरी बांध विस्थापन एवं पुर्नवास कार्यो की समीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम – धर्मघाट (क्यारी), ग्राम पंचायत – क्यारी, क्षे. प. – चम्बा, जिला – टिहरी गढ़वाल की स्थलीय विजिट भी की।

ग्राम – धर्मघाट (क्यारी) की ग्राम सभा में माननीय उपाध्यक्ष महोदय



उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

ग्राम सभा में ग्रामवासियों ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बताया कि वर्षा के दिनों में गाँव में आने वाले रास्ता काफी खराब हो जाता है, जिससे सामान्य जीवन पूर्णतः प्रभावित हो जाता है। यदि वर्षा के दिनों में किसी की मृत्यु हो जाये तो अन्तिम संस्कार में भी समस्याऐं आती है। बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है।

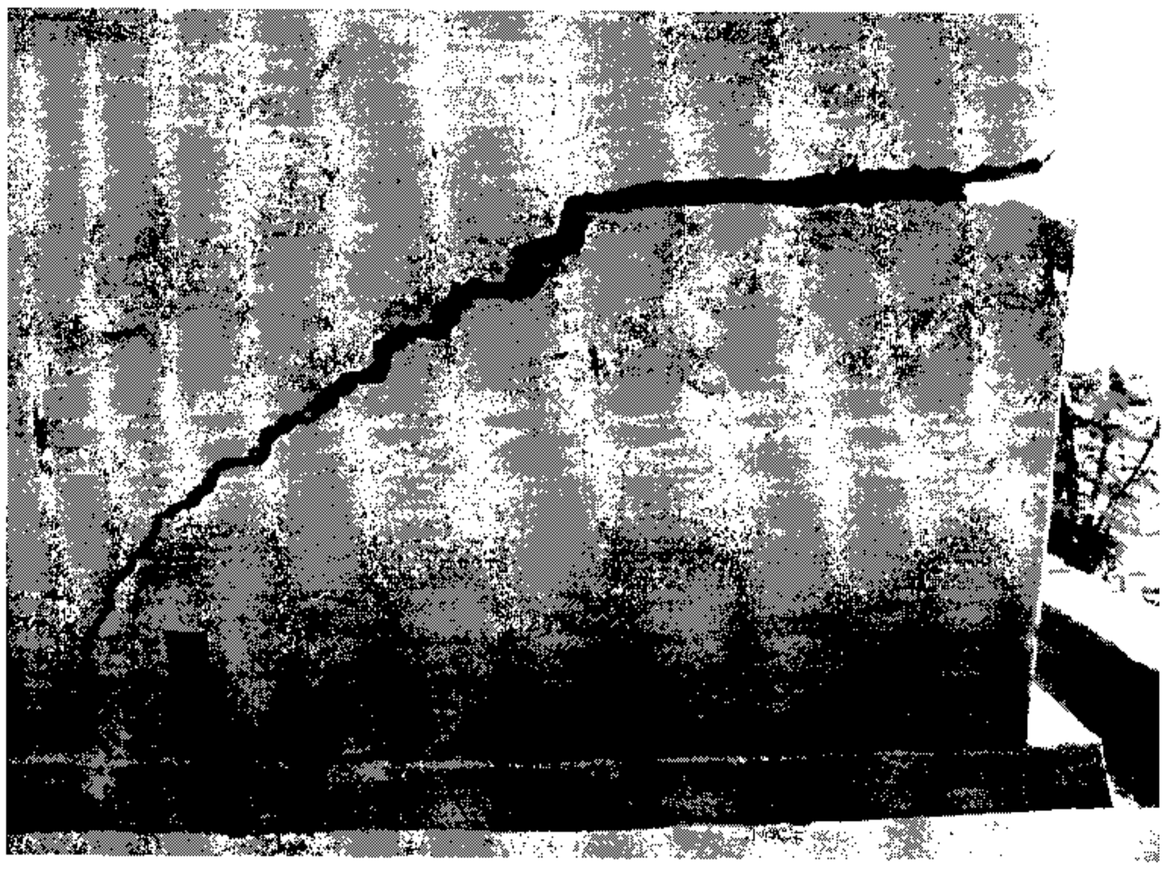

बांध से प्रभावित मकान।



रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ग्राम - क्यारी का अवलोकन करते हुए।

ग्राम - क्यारी के कुछ मकान 835 मीटर से कम ऊँचाई पर होने के कारण उनमें दरारे आ गई है। मकानों का निरीक्षण कर उपाध्यक्ष महोदय ने प्रभारी अधिकारी (पुनर्वास), पुर्नवास निदेशालय, नई टिहरी एवं टीएचडीसी प्रबन्धन से प्रभावित परिवारों को पुर्नवासित करने अथवा घरों की मरम्मत करवाने तथा सी. एस. आर. के तहत ग्राम के मुख्य रास्ते का पुर्ननिर्माण करवाने हेतु सुझाव दिये।

**दिनांक - 27/4/2015**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने दिनांक - 27/4/2015 को माता सुरकण्ड़ा देवी मन्दिरी तथा मसूरी के आस-पास ग्रामीण स्थलों का दौरा किया।

**दिनांक - 28/4/2015**

दिनांक - 28/422015 को वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन के सभा कक्ष में अनुवर्त्ती समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। नेपाल में आये विनाशकारी भूकम्प के कारण राहत सामग्री भेजने एवं राहत दलो सम्बन्धित कार्यो में



उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

व्यस्तता के कारण मुख्य सचिव के नैनिताल में होने के कारण बैठक का परिचालन श्री किशन नाथ, निदेशक, जनजाति कल्याण/अपर सचिव समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया गया। बैठक में सयुंक्त निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा राज्य में जनजाति विकास हेतु चलाई जा रही परियोजनाओं के आंकडे प्रस्तुत किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय अनुवर्ती समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए।

बैठक के दौरान माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की सिफारिश करी तथा जनजाति के शैक्षित विकास तथा संस्कृति संरक्षण हेतु एक शोध संस्थान की स्थापना हेतु सुझाव दिया। उत्तराखण्ड राज्य में एक भी विद्यालय राजकीय आश्रम पद्धति का इण्टरमीडिएट स्तर पर नहीं है अत: राज्य सरकार को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का चरणबद्व ढंग से इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने हेतु सुझाव दिया।

माधुरी पाटील बनाम अतिरिक्त जनजातीय आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार में माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुरूप राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समितियों का गठन कर सभी आरक्षित वर्ग के निर्गत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना चाहिये। जाति प्रमाण पत्र अधिनियम एवं उसके नियम भी बनाने चाहिये।

(अनुवर्ती कार्यवाही उत्तराखण्ड शासन द्वारा)

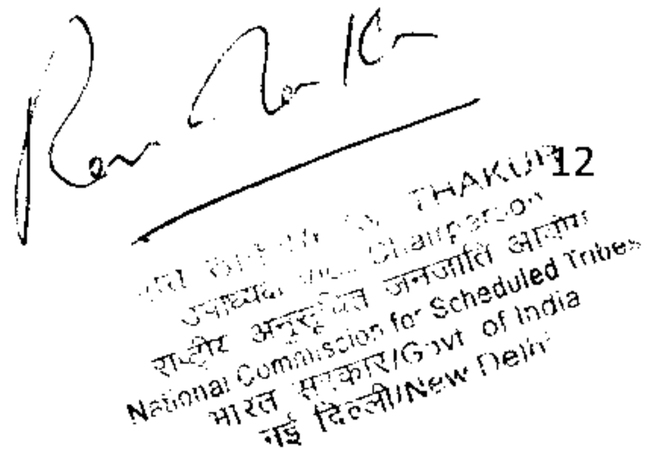

बैठक के दौरान देहरादून - मसूरी विकास प्राधिकरण की सेवाओं तथा विकास कार्यक्रमों में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। श्री प्रकाश चन्द दुमका, सचिव देहरादून - मसूरी विकास प्राधिकरण ने विकास तथा आरक्षण नीति आंकडे प्रस्तुत किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मसूरी में राज्य स्तरीय होटल प्रबन्ध संस्थान बनाने, होटलो में कार्यरत कार्मिक के उत्थान हेतु प्लेसमेंट एवं रोजगार संरक्षण तथा संगठित क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। मसूरी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाकर खराब पानी का अन्य कार्यो में सदुपयोग करने का सुझाव दिया। मसूरी में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कृषकों के उत्पादों को विक्रय हेतु मसूरी में सब्जी/दूध/मांस/फूल/फल मण्डी एवं हस्तशिल्प विपणन केन्द्र विकसित करने हेतु भी सुझाव दिया। मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने प्राधिकरण को स्थानीय निवासियों के लिये आवासिय योजना बनाने की आवश्यकता बताई।

प्राधिकरण के सचिव ने बताया के मसूरी का मास्टर प्लान को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण मसूरी में विकास कार्य नहीं किये जा रहे है। जिस पर माननीय उपाध्यक्ष ने उत्तराखण्ड शासन को शीघ्रातिशीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास करने हेतु सुझाव दिया। देहरादूर मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा रिक्त पदो पर सीधी भर्ती कर बैकलॉग भरने, रोस्टर संधारण तथा आरक्षित पदो को लम्बे समय तक रिक्त न रखने हेतु सुझाव दिया। मैसूरी में सहासिक खेलों का विकास किया जाना चाहिये।

**(अनुवर्ती कार्यवाही देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा)**

टेहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन को भूमि उपभोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूमि नामान्तरण का प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है, उसका निस्तारण होना चाहिये। टेहरी विद्युत परियोजना के 835 मीटर भराव क्षैत्र के आंशिक विस्थापित गांवो - नंदगांव एवं धर्मपुर (क्यारी) के पुर्नवास एवं प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा प्रदान करने की कार्यवाही की जानी चाहिये। टिहरी जिले में 6 गांव एवं 892 झोपड़िया विद्युतिकरण से वंचित है, उन्हे तत्काल विद्युतकरणी लाभान्वित करना चाहिये अथवा गैर-परम्परागत (सोलर) विद्युत स्त्रोत उपलब्ध करवाने चाहिये। कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई जानी चाहिये। शिक्षा के अधिकार के तहत मैसूरी एवं देहरादून स्थित निजी विद्यालयों में जनजाति बी.पी.एल. परिवारो के बच्चों के लिए स्थान आरक्षित किये जाने चाहिये।

टेहरी झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करते हुए साहसिक एवं जलीय खेलों का विकास करना चाहिये। टेहरी झील मछली पालन के लिए भी उपयुक्त स्थल



रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
New Delhi

है। टेहरी झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करते हुए पार्किंग, होटल, रेस्टोरेन्ट, विपणन केन्द्रों, दुकान आंवटन इत्यादि में स्थानीय नागरिको को शत-प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिये।

विद्यालयों में फर्निचर तथा भवन संसाधन, शौचालय निर्माण तथा पेयजल शुद्धिकरण यंत्रो हेतु सी. एस. आर. के तहत राजकीय उपक्रमों से वित्तिय संसाधन प्राप्त किये जाने चाहिये। शैचालयो का निर्माण बिना जल संसाधनों के नहीं करना चाहिये अन्यथा उनकी उपयोगित सिद्ध नहीं हो पाती है।

राज्य में पशुपालन, वन लघु उत्पाद उद्योगों, वानिकी कृषि, मधुमक्खी पालन, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, हस्त शिल्प विपणन इत्यादि का विकास किया जाना चाहिये।

**(अनुवर्त्ती कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा)**

मसूरी भ्रमण के दौरान पाया गया कि वनों एवं पहाड़ो के संरक्षण हेतु पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक बैक/चिप्स/बिस्किट्स/मिनरल वाटर/कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलो के निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा इन स्थलों के संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकार को प्लास्टिक पैंकिग फूड (आहार) पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर वातावतरण मित्र पूर्ण पैंकिग बिक्री की व्यवस्था की जाना चाहिये।

**(अनुवर्त्ती कार्यवाही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा)**

वन अधिकार अधिनियम - 2006 के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद पौडी में 48, जनपद हरिद्वार में 137, जनपद नैनीताल में 209 तथा जनपद पिथौरागढ़ में 45, राज्य में कुल 439 दावे लम्बित है। जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों द्वारा तत्काल इनका निस्तारण करना चाहिये।

फिल्ड विजिट के दौरान आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की कृषि भूमि सामान्य वर्ग अथवा कम्पनियों के नाम पर अवैध खरीद-फरोक्त के मामले भी दृष्टि में आये। प्रशासन को ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर इनके रोकथाम की तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिये।

**(अनुवृत्ति कार्यवाही राज्य सरकार तथा सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अधोईवाला, देहरादून का अवलोकन किया। विद्यालय में कुल 60 विद्यार्थी अध्ययनरत है। विद्यालय में सभी पद भरे हुए है। आश्रम की सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आश्रम व्यवस्थापक को निर्देशित किया गया।

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi